मथुरा पुलिस

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

दिनांक-07.11.2025 **ऑपरेशन कन्विक्शन** थाना – हाईवे

(त्वरित न्याय)

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त द्वारा वादी की नावालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ एंव जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ भोला पुत्र रामचन्द्र नि0 तारसी थाना हाईवे,मथुरा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 13000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना हाईवे जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 953/2017 धारा 354 भादवि/08 पोक्सो एक्ट/3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आज दिनांक 07.11.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-02,मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर **अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ भोला पुत्र रामचन्द्र नि0 तारसी थाना हाईवे,मथुरा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्री रामपाल सिंह
(एडीजीसी)

क्षेत्राधिकारी श्री विनय चौहान
(विवेचक)

है0का0 सुभाष थाना हाईवे,मथुरा
(पैरोकार)